

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

सत उपरवर्त अधिकारी मुकाम चिड़वा

मोहनलाल बनाम राज. सरकार वगैरे

सदमा नं सन

क्र. सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए ।
21	<p>परावली आज राज. ल. केम्प-पतन में पेश हुई। परावली पर रिपोर्ट नटमीलदार चिड़वा से प्राप्त हो चुकी है जो शामिल जिसल है। नटमीलदार चिड़वा ने पुकरा के रिपोर्ट प्रस्तुत कर दर्ज किया है कि राज. ल. के रिपोर्ट अनुसार वारी का हिस्सा 1/2 तथा परिवारी नं० 2 का हिस्सा 1/2 दर्ज है। परिवारी नं० 3 का वारी एवं परिवारी नं० 2 के पक्ष में एक त्याग हो गया। राज. ल. में ख. नं० 871 की पश्चिमी सीमा व ख. नं० 1027 की पूर्वी सीमा के सहारे ख. नं० 872 कि. ल. में मु. रास्ता जो राज. ल. के रिपोर्ट में दर्ज है। उक्त रास्ते के वारी जो ख. नं० 871 व 1027 सह. खातेदार हैं उक्त ख. नं० 1027 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे डाल दिया जो मोके पर-पालू है तथा आवागमन में कोई बाधा नहीं है। यह कि मोके पर उक्त रास्ता ख. नं० 871 की पूर्वी सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है तथा मोके पर वर्तमान में-पालू है। रिपोर्ट नटमीलदार चिड़वा के अनुसार गवशा सी. 2 में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के मोके पर कायम व प्रचलन के अनुसार ख. नं० 871 की उत्तरी सीमा व पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे करवाना-पाहना है। राज. ल. के रिपोर्ट नटमीलदार चिड़वा के अनुसार गवशा सी. 2 में दर्ज रास्ते के बदलाव का 2 नं० न्यायोचित व विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थना पर प्रती अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। परावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर काउ नटमीलदार चिड़वा अस्वीकृत दर्ज हो।</p>	

उप उपर अधिकारी
चिड़वा जिला बुन्देलखण्ड (मि.)